<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4569/2007</u>

याचिकाकर्ता:

सुखदेव मालाकार, आयु लगभग 46 वर्ष, आत्मज मोहनलाल मालाकार, व्यवसाय रसोइया, जनजातीय विभाग, बालक छात्रावास कोदसिया, लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त, जनजातीय विभाग, तहसील एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, जनजातीय विकास, रायगढ़, जिला: रायगढ़ (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जनजातीय कल्याण शाखा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका</u>

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति)

उपस्थिति:

श्री रूपेश श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री अजय द्विवेदी, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(आज दिनांक 08 जनवरी 2008 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कलेक्टर (जनजातीय कल्याण शाखा), रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.1997 (संलग्नक पी/1) की विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया नियमित वेतनमान प्रत्याहृत कर लिया गया था और उसके पश्चात याचिकाकर्ता को कलेक्टर दर के अनुसार दैनिक वेतन का संदाय किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 06.09.1991 के माध्यम से रसोइया के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और तदुपरांत, आदेश दिनांक 07.09.1995 के माध्यम से याचिकाकर्ता को नियमित वेतनमान अनुदत्त किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एक बार जब विधि के अनुसार याचिकाकर्ता को एक विशिष्ट वेतनमान का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, तो सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उसे प्रत्याहृत नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने निश्चित मासिक वेतनमान का अधिकार प्राप्त

कर लिया है क्योंकि उसकी सेवा नियमित कर दी गई थी। अतः, आदेश दोषपूर्ण है और निरस्त किए जाने योग्य है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2125/2002 (संत कुमार एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2006 का अत्यधिक अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने विधि द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना, किसी कर्मचारी के पीठ पीछे उसके नियमित वेतनमान को कम करने के समरूप मुद्दे पर विचार करते हुए इसे दंडात्मक माना है जिसके परिणाम सिविल प्रकृति के होते हैं। संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण/छत्तीसगढ़ राज्य ने इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश दिनांक 18.01.2006 को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 17122/2006 (छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य विरुद्ध संत कुमार एवं अन्य) प्रस्तुत की थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने विलंब क्षमा करते हुए आदेश दिनांक 9.10.2006 को उक्त याचिका को खारिज कर दिया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से यह तर्क दिया है कि यह प्रकरण संत कुमार एवं अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिनांक 18.01.2006 को पारित निर्णय एवं आदेश से पूरी तरह आच्छादित है। अतः, आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.1997 (संलग्नक पी/1) विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, क्योंकि यह प्रकृति में दंडात्मक है और संबंधित कर्मचारी (याचिकाकर्ता) को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है।

7. तदनुसार, आदेश दिनांक 04.10.1997 (संलग्नक पी/1) को अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता उस तिथि से नियमित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है जिस तिथि से आदेश द्वारा उसे वापस लिया गया था। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**